"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 नवम्बर 2013 — कार्तिक 14, शक 1935

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्रमांक 08/चार/वि.स.चु./2013/6086. — भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी निदेश संख्या 576/3/ई.व्ही.एम./2013/एस.डी.आर.(सी एच जी), दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 विधानसभा आम चुनाव-2013-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग संबंधी आयोग के निर्देश एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

निदेश

संख्या 576/3/ई.व्ही.एम./2013/एस.डी.आर.(सी एच जी) . — यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध है कि वोटिंग मशीन द्वारा ऐसी विधि से वोट दिया तथा रिकार्ड किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जाएगा और उसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाएगा जैसा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा; तथा

2. यत: आयोग ने छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिस्थितियों पर विचार कर लिया है और इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, मतदान कर्मी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन चलाने में पूर्णत: दक्ष हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के प्रचालन में निपुण हैं.

3. अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को एतद्द्वारा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिनमें उक्त राज्य के विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचनों में मतदान को 18-10-2013 तथा 25-10-2013 को अधिसूचित किया गया है, वहाँ मतों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और इस विषय पर समय-समय पर आयोग द्वारा जारी पूरक अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि से डाला और रिकार्ड किया जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 30th October 2013

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2013/SDR(CHG) . — Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in all the 90 Assembly Constituencies in Chhattisgarh, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies all the 90 Assembly constituencies in Chhattisgarh, as the Constituencies in which the votes at the current general election to the Legislative Assembly of the said State notified on 18-10-2013 and 25-10-2013, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By Order,

Sd/-
(Ashish Chakraborty)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.